

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के  
नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

आर.सी. संख्या: 747/2020 आगामी तिथि- 17.10.2022

प्रकरण का उन्वान:

**एच. डी. एफ. सी. बैंक लि. बनाम मै. आशीष इंडस्ट्रीज  
विक्रय की उद्घोषणा**

कार्यालय वसूली अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण, पहली मंजिल, सुधरमा-2, लाल कोठी शॉपिंग सेंटर, किसान भवन के सामने, जयपुर (राजस्थान)  
(न्यायालय क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर ने 2,81,00,551.98 रुपये (अक्षरे दो करोड़ ईक्यासी लाख पाँच सौ इक्यावन एवं अठानवे पैसा मात्र) एवं ब्याज हर्जा, शुल्क इत्यादि के निर्णित ऋणीगण से वसूली हेतु ओ. ए. नंबर 274/2019 दिनांकित 28.08.2020 में वसूली प्रमाण पत्र संख्या 747/2020 जारी किया गया है।

एवं यह कि अधोहस्ताक्षरता ने बंधक सम्पत्ति को जैसा कि संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए विक्रय का आदेश पारित किया है। एवं यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2021 तक ब्याज एवं खर्च सहित कुल 3,47,42,155.67 रुपये (अक्षरे तीन करोड़ सैंतालीस लाख बियालीस हजार एक सौ पचपन एवं सड़सठ पैसे मात्र) एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते हैं।

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थान आदेश की अनुपस्थिति में उक्त सम्पत्ति प्रमाणपत्रधारी बैंक द्वारा सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा दिनांक 10.10.2022 को प्रातः 11.00 बजे से 03.00 बजे तक E-auction platform at website <https://www.bankeauctions.com> of M/s C1 India Pvt. Ltd., Plot No 301, Gulf Petro Chem Building, Udyog Vihar, Phase 2, Gurugram, Haryana पर विक्रय की जायेगी। उक्त वेबसाइट से संबंधित अन्य किसी जानकारी के लिए मि. विनोद चौहान (मोबाईल नंबर 9813887931) से संपर्क करना होगा। अन्य किसी जानकारी के लिए बैंक अधिकारी श्री संजय शर्मा (मोबाईल नंबर 9811022575) या कैलाश शर्मा (मोबाईल नंबर 9214089244) से संपर्क करना होगा।

यह कि उपरोक्त व्यक्तिक्रमी की सम्पत्ति का विक्रय जिसका नाम नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, का होगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं क्लेम जो अभिनिश्चित किए गए हैं, वो प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। सम्पत्ति 'जैसी है, जहां है एवं जैसी स्थिति में है' के आधार पर विक्रय की जायेगी।

सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जायेगा सम्पत्ति के संदर्भ में विक्रय तुरंत रोक दिया जावेगा यदि किसी भी लॉट का विक्रय शुरू करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को सौंपी जाती है या उसकी संतुष्टि हेतु प्रमाण पत्र दिया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व लागतों का भुगतान अधोहस्ताक्षरताओं को कर दिया गया है तो विक्रय रोक दिया जावेगा।

विक्रय में सामान्यतया आम जनता को स्वयं अथवा उसके किसी प्राधिकृत अधिकारता को आमंत्रित किया जाता है। कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के संबंध में अपना कर्तव्य निर्वहण कर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इस संपत्ति के विक्रय में, बोली में अथवा अधिग्रहण में या अधिग्रहण के प्रयास में हिस्सा नहीं लेगा।

यह विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं निम्नलिखित अन्य शर्तों की अध्यधीन होगा।  
1. संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट व्योरा अधोहस्ताक्षरताओं की श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं। लेकिन अधोहस्ताक्षरताओं इस उद्घोषणा के किसी भी गलत कथन, त्रुटि एवं चूक के लिये जवाब दे नहीं होगा। 2. सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रु. 2.70 करोड़ होगा, जिससे कम में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जावेगी। 3. संपत्ति की बोली बढ़ाने की राशि रु. 50,000/- के गुणांक में होगी। बोली की राशि का बोलीदाता के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त दुबारा नीलामी के लिए रख दिया जावेगा। 4. बोलीदाता को धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि का वसूली अधिकारी के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा एवं प्रमाणपत्र धारी बैंक के खाते Account no. 57500000904261, Name of Account: DFSO TRANSITORY ACCOUNT, Name of the Beneficiary: HDFC Bank Ltd, IFSC Code: HDFC0000240 में NEFT/RTGS कराना होगा एवं पेन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि, पते का सबूत एवं प्राधिकार पत्र, यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से नीलामी में भाग ले रहे हैं, प्रस्तुत करने होंगे। 5. अगर उच्चतम बोलीदाता विधिक रूप से बोली लगाने के योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित दर से कम नहीं है तो उसे क्रेता घोषित कर दिया जायेगा। अधोहस्ताक्षरताओं को जब ऐसा लगता है कि मूल्य स्पष्ट रूप से सभी खर्चों की क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त है तो उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करना उसके विवेकाधीन होगा। 6. लिखित कारणों से विक्रय करने वाले अधिकारी को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार होगा। 7. चल सम्पत्ति के मामले में वह व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरंत बाद उसकी बोली की संपूर्ण राशि उस अधिकारी के पास जो विक्रय का संचालन कर रहा है, जमा करानी होगी और उक्त राशि जमा कराने में व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिए रखकर विक्रय की जावेगी। 8. अचल सम्पत्ति के मामले में वह व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरंत बाद उसकी बोली की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करने हेतु वसूली अधिकारी के पास जो विक्रय का संचालन कर रहा है, के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा अथवा प्रमाणपत्र धारी बैंक के खाते Account no. 57500000904261, Name of Account: DFSO TRANSITORY ACCOUNT, Name of the Beneficiary: HDFC Bank Ltd, IFSC Code: HDFC0000240 में NEFT/RTGS द्वारा जमा कराना होगा और उक्त राशि जमा कराने के व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिए रखकर विक्रय की जावेगी एवं नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी तिथि से 15 दिवस के भीतर क्रेता द्वारा वसूली अधिकारी के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा प्रमाणपत्र धारी बैंक के खाते Account no. 57500000904261, Name of Account: DFSO TRANSITORY ACCOUNT, Name of the Beneficiary: HDFC Bank Ltd, IFSC Code: HDFC0000240 में NEFT/RTGS द्वारा जमा कराना होगा जिसमें नीलामी का दिन या 15वां दिन सम्मिलित नहीं होगा। उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना होने पर, उक्त सम्पत्ति का पुनः विक्रय नई उद्घोषणा जारी करके किया जायेगा। उस स्थिति में व्यक्तिक्रमी के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरताओं यदि उचित समझता हो तो विक्रय के खर्च समायोजित किए जाने के पश्चात् जमा सकारा कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति के संबंध में या राशि के किसी भाग के संबंध में प्राप्त समस्त अधिकार जट्ट हो जायेंगे सफल बोलीदाता को प्रथम एक हजार रुपये पर 02 प्रतिशत एवं उसके बाद शेष राशि पर 01 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान करना होगा।**सम्पत्ति का विवरण**

| लॉट की संख्या | अन्य सहमालिकों का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह-मालिक है | सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है | किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है | विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टांटों जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है। |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                           | 3                                                               | 4                                                              | 5                                                                                                                                    |
| 1             | Plot No. B-12, Mukherji Colony, Shashtri Nagar, Jaipur- 302016 admeasuring 331.98 Sq. Mtrs. and construction thereon.       | ज्ञात नहीं                                                      | ज्ञात नहीं                                                     | ज्ञात नहीं                                                                                                                           |

सील

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 20/08/2022 को जारी किया गया।

वसूली अधिकारी - I

ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर